


न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 18/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/48 आरटीए

अमित कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम



1. रेशनी देवी पत्नी स्व. श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
2. वेदप्रकाश पुत्र स्व. श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. रेशनी देवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. शालु पुत्री श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. सजना देवी पत्नी स्व. श्री भोजराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. महावीर पुत्र स्व. श्री भोजराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
7. संजय कुमार पुत्र श्री महावीर जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
8. कंचन पुत्री श्री महावीर जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपरिस्थित :-

1. श्री महावीर बेरड़-वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड -वकील प्रति.सं. 1 ता 8
निर्णय

दिनांक :- 3.3.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह संशोधित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/48 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता
8 की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 101/67 जमाबन्दी
सम्बत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.639 है.
कृषि भूमि, चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी
की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.6955 है. कृषि भूमि, चक 10 बी.जी.
पी. के खाता सं. 94/68 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी की माता प्रतिवादी सं. 3
के नाम से 0.632 है. कृषि भूमि, चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी
सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि, तथा चक 10

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया




बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.304 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिपोदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य राजीनामा, तवादला व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2, 4, 6 व 8 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 7 के पक्ष में कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 7 को बंटवारा एवं तवादला में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) वादी अमित कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.632 है. कृषि भूमि
- (ख) प्रतिवादी सं. 1 राणी देवी पत्नी स्व. श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि
- (ग) प्रतिवादी सं. 3 रोषनी देवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.632 है. कृषि भूमि
- (घ) प्रतिवादी सं. 5 सजना देवी पत्नी स्व. श्री भोजराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 101/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.639 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.373 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.260 है. कृषि भूमि
- (ङ) प्रतिवादी सं. 7 संजय कुमार पुत्र श्री महावीर जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.3225 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.632 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 94/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.044 है. कृषि भूमि

महायक कलेक्टर एच

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काप्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काप्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। वस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 व 6 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 4, 7 व 8 को विधिक वारिसान होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 9 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय पक्षकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिफ्री फरमाया जावे कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के द्वारा घराघरू बंटवारा एवं तबादलानुसार तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 101/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.639 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 5 को खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.6955 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 को 0.373 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 7 को 0.3225 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 94/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की माता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.632 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.633 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.632 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 व 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.304 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 को 1.044 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जावे।


महायक कलेक्टर एवं

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अमित कुमार का शपथ-पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :-

1. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 101/67 ज.स. 2070-73 प्रदर्श-1
2. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 94/68 ज.स. 2070-73 प्रदर्श-2
3. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 66/06 ज.स. 2070-73 प्रदर्श-3
4. चक 02 डीएनजी खाता संख्या 172/109 ज.स. 2071-74 प्रदर्श-4
5. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 102 ज.स. 2070-73 प्रदर्श-1
6. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 6/5 ज.स. 2066-69 की फोटोप्रति
7. चक 10 बीजीपी खाता संख्या 7/6 ज.स. 2066-69 की फोटोप्रति
8. चक 02 डीएनजी खाता संख्या 73/61 ज.स. 2067-70 की फोटोप्रति

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्देश्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक सम्मान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेंगे। वाद पत्र को कोई विरोध हमारे सामने नहीं आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।




क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र निम्नानुसार डिग्री किया जाता है कि :- तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 101/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.639 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 0.6955 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 को 0.373 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी सं. 7 को 0.3225 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 94/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की माता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.632 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.633 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.632 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 व 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.304 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 को 1.044 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

अतः उक्तानुसार पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपसहायक अधिकारी,
संगरिया

डिग्री व मुकदमें ईव्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-18/2024

अमित कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. रामी देवी पत्नी स्व. श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
2. वेदप्रकाश पुत्र स्व. श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. रेशनी देवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. शालु पुत्री श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. सजना देवी पत्नी स्व. श्री भोजराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. महावीर पुत्र स्व. श्री भोजराज जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
7. संजय कुमार पुत्र श्री महावीर जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
8. कंचन पुत्री श्री महावीर जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता
सं. 101/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1 व 2
के नाम से 0.639 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर
प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के
खाता सं. 66/6 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की दादी एवं पिता प्रतिवादी सं. 1
व 2 के नाम से 0.6955 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 को 0.373 है. कृषि भूमि एवं
प्रतिवादी सं. 7 को 0.3225 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं.
1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं.
94/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की माता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.632
है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का



नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 172/109 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.633 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.632 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 व 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 102/67 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम से 1.304 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 को 1.044 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि हक हिरसा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज ~~निल~~ ~~मुब्लिक~~ ~~निल~~ ~~बाबत~~ ~~निल~~ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~अदा करें~~।
बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.3.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उप-अधीक्षक,
संरक्षण